


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज 0 जयपुर
क्रमांक प 8(ड)()का.भा./डीएलवी/19/ 112-44

दिनांक: 24/9/19

संशोधित आदेश

श्री कैलाश पारीक, अध्यक्ष, नगरपालिका, रींगरा का दिनांक 08.08.19 को देहान्त हो जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 21124-36 दिनांक 20.09.19 के द्वारा श्री बाबूलाल कुमावत, उपाध्यक्ष, नगरपालिका, रींगरा को अध्यक्ष, नगरपालिका रींगरा के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत किया गया था जिसमें सहवन से "नगरपालिका रींगरा में अध्यक्ष का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है" अंकित हो गया है।

अतः "नगरपालिका रींगरा में अध्यक्ष का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है" के स्थान पर "नगरपालिका रींगरा में अध्यक्ष का पद अनारक्षित है" पढा जावे।


(उज्ज्वल राठौड)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प 8(ड)()का.भा./डीएलवी/19/ 111 45-56

दिनांक: 24/9/19

पतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
5. जिला कलक्टर, सीकर।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. उपखण्ड अधिकारी, सीकर।
8. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रींगरा।
10. श्री बाबूलाल कुमावत, कार्यवाहक अध्यक्ष, नगरपालिका, रींगरा।
11. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी